पत्रांक–09/दा0खा0(मास्टर परिपत्र)–XII-81/2025 461 (9)/रा0

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

सी0 के0 अनिल,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी समाहर्त्ता,
सभी उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार, बिहार।

पटना–15, दिनांक– 25/01/2026

विषय :– **बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 एवं बिहार भूमि विवाद निराकरण नियमावली, 2010 के अन्तर्गत "लंबित" रहने की परिभाषा/व्याख्या।**

प्रसंग :–
1. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्रांक–237(9) दिनांक–02.02.2026
2. बिहार भूमि विवाद निराकरण अधि0–2009 की परिभाषाएँ प्रभाग की धारा–2 (झ) एवं धारा–14(2)
3. बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 का नियम–3 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकार (उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार) के प्रासंगिक अधिनियम/नियमावली के आलोक में किए जा रहे कार्यकलापों से असंतुष्ट होने के कतिपय कारणों को संज्ञान में लेकर एवं भूमि सुधार जन कल्याण संवाद–2025 में सभी प्रमण्डलों में नागरिक वार्त्तालाप (Citizen Dialogue) के अधीन प्राप्त आवेदनों के आलोक में "लंबित"/"अपील में लंबित" को परिभाषित करने की आवश्यकता प्रतीत होती है।

1. बिहार गजट में 8 जनवरी, 2010 को प्रख्यापित बिहार भूमि विवाद निराकरण, अधिनियम, 2009 की धारा–2 परिभाषाएँ की उपधारा (झ) में निम्नलिखित अंकित है :–

इस अधिनियम में अपरिभाषित 'शब्द या अभिव्यक्तियों' का वही अर्थ होगा, जो इस अधिनियम की "अनुसूची–1" में शामिल सम्बंधित अधिनियमों में इन्हें दिया जाएगा। "अनुसूची–1" में शामिल छः अधिनियम है–

i बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950
ii बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885
iii बिहार प्रश्रय प्राप्त व्यक्ति वासगीत काश्तकारी अधिनियम, 1947
iv बिहार भू–दान यज्ञ अधिनियम, 1954
v बिहार भमि (अधिकतम सीमा निर्धारण एवं अधिशेष भूमि अर्जन) अधि0–1961
vi बिहार जोतों का समेकन एवं खण्डकरण निवारण अधिनियम, 1956

1.1 धारा–5 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकार को व्यवहार न्यायालय की शक्तियाँ प्रदत्त हैं जो सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के तहत न्यायालय का कार्य करेंगी।

2. यह कि लंबित (Lis Pendens) के संबंध में पूर्व में पत्रांक–237 (9) दिनांक–02.02.2026 द्वारा परिभाषित किया गया है। बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 का नियम–3 द्वारा आच्छादित, जो निम्नवत् है :–

"सामान्य परिभाषा अधिनियम (जेनरल क्लॉजेज ऐक्ट), 1897–इस नियमावली के निर्वाचनार्थ उसी प्रकार लागू होता है जिस प्रकार केन्द्रीय अधिनियमों के विवेचनार्थ लागू होता है।"

3. प्रासंगिक अधिनियम के प्रस्तावना में निम्नलिखित स्पष्टतः अंकित है:–

(क) चूँकि विवादों का प्रभावशाली द्रुत निराकरण किया जाना है, राजस्व अधिकारियों द्वारा जिन्हें क्षेत्रीय कार्यालयों में लगातार पदस्थापन (Field Postings) एवं राजस्व प्रशासन की विशेषज्ञता (Expertise in Revenue Administration) है।

(ख) चूँकि ऐसे विवादों का तत्काल एवं प्रभावशाली ढंग से निराकरण नहीं करने से समाज में बड़े उथल–पुथल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

4. यह कि कतिपय समाहर्त्ताओं द्वारा नियमावली, 2010 के नियम–30 के अन्तर्गत आदेश के क्रियान्वयन के संबंध में पृच्छा की गयी है, जो पुनः स्पष्ट किया जाता है :–

(i) सभी वादों को तीन माह के अन्दर निष्पादित किया जाना अनिवार्य होगा (Rule 9(2))of Bihar Land Dispute Resolution Rule-2010)

(ii) "लंबित" का अर्थ CPC, 1908 के Order XXXIX Rule-1 के अन्तर्गत Temporary Injunction/सक्षम न्यायालय से Stay order होगा।

(iii) सभी वादों का सक्षम प्राधिकार/अपीलीय प्राधिकार द्वारा Summary Case disposal के अन्तर्गत किया जाएगा। (Bihar Land Dispute Resolution Act-2009 की धारा–7)

(iv) समाहर्त्ता साप्ताहिक बैठक करके सक्षम प्राधिकार के कार्यों का पर्यवेक्षण कर अधिकतम तीन माह के अंदर वादों का निष्पादन कराना सुनिश्चित करेंगे। (Bihar Land Dispute Resolution Act-2009 की धारा–12)

अतः उपर्युक्त के आलोक में सभी को ये निर्देश दिया जाता है कि प्रासंगिक अधिनियम के सुस्पष्ट प्रावधानों के अन्तर्गत वादों का शीघ्र निष्पादन करें ताकि सरकार के सात निश्चय कार्यक्रम (2025–30) के स्तंभ–7 में उल्लेखित Ease of Living को जमीनी स्तर पर साकार किया जा सके।

प्रासंगिक परिपत्र सं0–237(9) दिनांक–02.02.2026 एवं यह परिपत्र सह पठित होगा।

विश्वासभाजन,

25/02/2026

(सी0 के0 अनिल)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :– 09/दा0खा0(मास्टर परिपत्र)–XII–81/2025 461 /दिनांक:– 25/02/2026

प्रतिलिपि :– सभी अपर समाहर्त्ता, बिहार एवं सभी अंचल अधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/02/2026

(सी0 के0 अनिल)
प्रधान सचिव।